न्यायालय-अपर सेशन न्यायाधीश रामगंजमण्डी, जिला-कोटा (राज.)

Present : **Shailesh Jaria (R.J.S.) D.J.Cadre**
Date of the Judgement : **01.07.2026**
Session Case No. **09/2026**
(Details of FIR No. **150/2025** PS Ramgangmandi, Distt. Kota

Complainant	State of Rajasthan
PRESENTED BY	अपर लोक अभियोजक
APPEALLANT/ACCUSED	1. काशीराम पुत्र मन्नालाल, 2. ईश्वर पुत्र काशीराम, 3. पवन पुत्र रामलाल, 4. कमलप्रकाश पुत्र सीताराम, 5. रमेशचंद पुत्र चतुर्भुज, निवासीगण हरिपुरा थाना रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान
REPRESENTED BY	श्री जितेन्द्र कुमार भारती, अधिवक्ता

B

Date of Offence	10.04.2025
Date of FIR	10.04.2025
Date of Charge sheet	16.01.2026
Date of Framing of Charges by trial court	27.03.2026
Date of commencement of evidence	29.06.2026
Date on which judgment is reserved	Nil
Date of the Judgment by trial court	-
Date of the Sentencing Order, if any	-

PART-II

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police

		Witness, Witness, Medical Witness, Witness, Other Witness)
P.W.1	विनोद	परिवादी/मजरूब
P.W.2	कैलाश	मजरूब
P.W.3	दिनेश	मजरूब
P.W.4	रामप्रसाद	मजरूब
P.W.5	गोविन्द	मजरूब

B. Defence Witnesses, if any:

Rank	Name	Nature of Evidence(Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
1.	निल	निल

C. Court Witnesses, if any:

Rank	Name	Nature of Evidence(Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
1.	निल	निल

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1.	Exhibit P.1	तहरीरी रिपोर्ट
2.	Exhibit P.2	नक्शा मौका
3.	Exhibit P.3	फर्द जब्ती बनियान
4.	Exhibit P.4	धारा 183 बीएनएसएस बयान विनोद
5.	Exhibit P.5	चोट प्रतिवेदन विनोद

6.	Exhibit P.6	पुलिस बयान विनोद
7.	Exhibit P.7	फर्द जब्ती खून आलूदा शर्ट कैलाश
8.	Exhibit P.8	धारा 183 बीएनएसएस बयान कैलाश
9.	Exhibit P.9	चोट प्रतिवेदन मजरूब कैलाश
10.	Exhibit P.10	पुलिस बयान गवाह कैलाश
11.	Exhibit P.11	फर्द जब्ती खून आलूदा बनियान दिनेश
12.	Exhibit P.12	धारा 183 बीएनएसएस बयान दिनेश
13.	Exhibit P.13	चोट प्रतिवेदन मजरूब दिनेश
14.	Exhibit P.14	पुलिस बयान गवाह दिनेश
15.	Exhibit P.15	फर्द जब्ती खून आलूदा शर्ट रामप्रसाद
16.	Exhibit P.16	धारा 183 बीएनएसएस बयान रामप्रसाद
17.	Exhibit P.17	चोट प्रतिवेदन मजरूब रामप्रसाद
18.	Exhibit P.18	पुलिस बयान गवाह रामप्रसाद
19.	Exhibit P.19	फर्द जब्ती खून आलूदा टीशर्ट मजरूब गोविन्द
20.	Exhibit P.20	धारा 183 बीएनएसएस के बयान गोविन्द
21.	Exhibit P.21	चोट प्रतिवेदन मजरूब गोविन्द
22.	Exhibit P.22	पुलिस बयान गवाह गोविन्द

B. Defence:

S.No.	Exhibit Number	Description
01	निल	

C. Court Exhibits:

S.No.	Exhibit Number	Description
	निल	

D. Material Objects:

S.No	Exhibit Number	Description

1.	निल	

01. पुलिस थाना रामगंजमण्डी, जिला कोटा की ओर से अभियुक्तगण काशीराम, पवन, कमल प्रकाश, रमेश चंद व ईश्वर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 110, 117(2), 118(2), 190, 191(3) भारतीय न्याय संहिता में आरोप पत्र दिनांक 16.01.2026 को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामगंजमण्डी, जिला कोटा में प्रस्तुत किया गया जो अनन्यतः सेशन विचारणीय होने से उपार्पित होकर दिनांक 31.01.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर नियमानुसार सेशन प्रकरण संस्थित हुआ।

02. अभियोजन कहानी के अनुसार प्रकरण के सुसंगत एवं संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 10.04.2025 को एक तहरीरी रिपोर्ट परिवादी मजरूब विनोद ने पुलिस थाना रामगंजमण्डी जिला कोटा के समक्ष इस आशय की पेश की कि वह गांव हरिपुरा का रहने वाला है। आज दिनांक 10.04.2025 को समय 9.30 के लगभग वह काशीराम को बोलने गया था कि तूने मेरे नाम पर रिपोर्ट क्यूं करी। इतने में काशीराम, ईश्वर, कमल, रितेश इन्होंने सबने उसे बांध कर मारा। हथियार लेकर पवन कुमार, बाबूलाल, चैनराम (प्रभू), भरत सभी ने मिलकर कर रहे थे। ट्रेक्टकर चढा दो। इसे मारकर फैंक दो साले को ऐसा बोला। थोडी देर बाद गोविन्द, कैलाश और उसके पापा को पता चला और कॉल करके दिनेश को बुलाया और तीन चार पर हथियार से वार कर दिया। उक्त सभी लागो ने जान से मारने की नियत से उनके ऊपर हमला कर दिया जिससे उसके पापा रामप्रसाद जी के सिर व अन्य जगह चोटें आई। दिनेश पाटीदार व उसके काका कैलाश व छोटे भाई गोविन्द के सिर में गंभीर चोट मारी।....इत्यादि।

03. उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 150/2025, अपराध अंतर्गत धारा 115(2), 126(2), 110, 189(2) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज कर अनुसंधान किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 115(2), 126(2), 110, 118(1), 118(2), 117(2), 190, 191(3) भारतीय न्याय संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी, जिला कोटा के समक्ष पेश किया गया, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं के तहत दण्डनीय अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से इस न्यायालय को कमिट किये जाने पर प्रकरण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. बहस आरोप सुनी गई। अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 191(3), 126(2), 115(2), 117(2), 118(1), 118(2), 110 सपठित धारा 190 भारतीय न्याय संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

05. इस स्तर पर परिवादी व अभियुक्तगण की ओर से राजीनामा अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 117(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया जो न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जाकर अभियुक्तगण को बरूये राजीनामा अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 117(2) भारतीय न्याय संहिता में दोषमुक्त घोषित किया गया। इस प्रकार अब अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 191(3), 110, 118(1), 118(2) सपठित धारा 190 भारतीय न्याय संहिता में ही विचारण शेष रहा है।

06. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू.1 काशीराम, पी.डब्ल्यू.2 इश्वरचंद व पी.डब्ल्यू.3 रमेशचंद की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में एक्जी. पी.1 लगायत एक्जी.पी.21 को प्रदर्शित करवाया गया।

07. परिवादी व अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो जाने व महत्वपूर्ण गवाहान परिवादी/मजरूबान के पक्षद्रोही हो जाने से अन्य शेष गवाहान की तलवी बंद की गई, जिससे अभियुक्तगण के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता बनने नहीं पाये जाने से लेखबद्ध नहीं किये गये।

08. बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के न्यायपूर्ण विनिश्चय हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि-

(i)	"क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 10.04.2025 को समय 10.30 एएम पर ग्राम हरिपुरा थाना रामगंजमण्डी, जिला कोटा में अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर उसके सदस्य होते हुये परिवादी/मजरूबगण के साथ मारपीट करने के उद्देश्य से बल व हिंसा का प्रयोग करते हुये बलवा कारित किया तथा मजरूबान दिनेश के साथ धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण व गंभीर उपहति कारित की व मजरूब कैलाश के लकडी की सिर जैसे मर्म भाग पर इस प्रकार मारपीट की जिनमें यदि उसकी मृत्यु हो जाती

	तो आप सदोष मानव वध के अपराध के दोषी होते?
(ii)	"यदि अभियुक्त पर उक्त आरोपित अपराध साबित होता है, तो उचित दण्ड क्या होगा ?"

09. उक्त विचारणीय बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

10. इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से तर्क दिया गया कि प्रकरण में अभियोजन की ओर से पेश गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। गवाहों के बयानों से घटना की ताईद नहीं होती है। प्रकरण में परिवादी व अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा परीक्षित पाचों महत्वपूर्ण गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुये हैं जिससे पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी प्रकार की साक्ष्य अवस्थित नहीं है। अतः अभियोजन पक्ष प्रकरण को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। ऐसे में अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

11. मैंने परस्पर विरोधी कथनों पर गौर किया। पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त विचारणीय बिंदु का विवेचन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, उभय पक्षों की बहस के मध्यनजर मेरे द्वारा निम्न प्रकार किया जा रहा हैः-

12. मजरूबान दिनेश व कैलाश के संदर्भ में धारा 191(3), 110, 118(2), 190 भा.द.सं. के अपराध का आरोप मुलजिमान पर लगाया गया है। सर्वप्रथम उक्त मजरूब दिनेश के संदर्भ में अवलोकन, विवेचन किया जाना सुविधा की दृष्टि से उचित पाया जाता है। मजरूब दिनेश पी.डब्ल्यू.3 पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि "मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे गिरने से सिर पर चोट आने से मैं बेहोश हो गया था और आगे क्या हुआ उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने मेरी बनियान खून आलूदा को जब्त किया था जो प्रदर्श पी-11 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मेरे मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हुए थे जो प्रदर्श पी-12 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मेरा मेडिकल मुआयना पुलिस ने करवाया था जो प्रदर्श पी-13 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।"....यह गवाह स्वयं मजरूब है जिसे अपर लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि "यह

कहना गलत है कि मेरे पुलिस में बयान हुए हो। पुलिस बयान प्रदर्श पी-14 सी से डी भाग मैं दरियाप्त....मारपीट की है, गवाह को पढ़कर सुनाया, सुनकर कहा ऐसा मैंने नहीं लिखवाया। यह कहना गलत है कि काशीराम ने सिर पर मारी हो जिससे मेरे खून आया और सिर में चोट आयी हो जिस कारण मैं बेहोश हो गया हो।"....उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा जिरह करने पर गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि प्रकरण में मुलजिमान से राजीनामा हो गया है और मुलजिमान के विरूद्ध अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। यह कहना सही है कि अभियुक्तगण ने हमारे साथ कोई मारपीट व झगडा नहीं किया है।"

13. गवाह पी.डब्ल्यू.2 कैलाश भी मजरूब है जो भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है और अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि "मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं गिरने से सिर पर चोट आने से बेहोश हो गया था और आगे क्या हुआ उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने मेरी शर्ट खून आलूदा को जब्त किया था जो प्रदर्श पी-7 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मेरे मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हुए थे जो प्रदर्श पी-8 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षकर है। मेरा मेडिकल मुआयना पुलिस ने करवाया था जो प्रदर्श पी-9 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।"....यह गवाह स्वयं मजरूब है जिसे अपर लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि "यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी-10 का सी से डी भाग में दरियाप्त....पहुंचाई है, गवाह को पढकर सुनाया, सुनकर कहा ऐसा मैंने नहीं लिखवाया। यह कहना गलत है कि काशीराम ने मेरे पाईप की सिर पर मारी हो जिससे मेरे खून आया और सिर में चोट आयी हो, जिस कारण मैं बेहोश हो गया हो।....यह कहना गलत हे कि प्रदर्श पी-8 का सी से डी भाग कुछ....हमला किया, मैंने मजिस्ट्रेट साहब को लिखवाया हो। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी-8 का सी से डी भाग मजिस्ट्रेट साहब ने पढकर मुझे सुनाया हो और मैंने सुनकर हस्ताक्षर किए हो। यह कहना गलत है कि काशीराम व अन्य मुलजिमान ने मेरे मारी हो जिस कारण मेरा प्रदर्श पी-9 मेडिकल मुआयना पुलिस ने करवाया हो।"...उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा जिरह करने पर गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि प्रकरण में मुलजिमान से राजीनामा हो गया है और मुलजिमान के विरूद्ध अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। यह कहना सही है कि अभियुक्तगण ने हमारे साथ कोई मारपीट व झगडा नहीं किया है।"

14. गवाह पी.डब्ल्यू.1 विनोद भी परिवादी/मजरूब है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि, "दिनांक 10.04.2025 की बात है। उस दिन काशीराम, ईश्वर, कमल, रितेश व अन्य लोगों से हल्की फुल्की कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के

दौरान रामप्रसाद, कैलाश, गोविन्द, दिनेश आ गये थे। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हुआ। भागादौडी हो जाने से हमारे गिरने के कारण चोटें आयी थी। मैंने घटना की रिपोर्ट दर्ज करवायी थी जो प्रदर्श पी-1 है जिस पर ए से बी भाग में दो जगह मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मेरे सामने कोई नक्शा मौका नहीं बनाया। नक्शा मौका प्रदर्श पी-2 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मेरे से बनियान जब्त किया था जो प्रदर्श पी-2 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मेरे से बनियान जब्त किया था जो प्रदर्श पी-4 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस ने मेरा मेडिकल मुआयना कराया था जो प्रदर्श पी-5 है।"...यह गवाह स्वयं परिवादी/मजरूब है जिसे अपर लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि "यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी-1 तहरीर रिपोर्ट पर मैंने पढकर हस्ताक्षर किए हो। यह कहना गलत है कि मुझे किसी ने भी प्रदर्श पी-1 का सी से डी भाग निवेदन है.....में दी किसी ने मुझे पढकर सुनाया हो और मैंने सही मानकर हस्ताक्षर किए हो बल्कि मैंने खाली पन्ने पर हस्ताक्षर किये थे।....प्रदर्श पी-6 का सी से डी भाग दरियास.....मारपीट की है, गवाह को पढकर सुनाया, सुनकर कहा ऐसा मैंने नहीं लिखवाया। यह कहना गलत है कि मुझे प्रदर्श पी-4 का सी से डी भाग 10 अप्रेल...दिया था, मैंने मजिस्ट्रेट साहब को लिखवाया हो। गवाह ने खुद कहा कि पुलिस ने कहा था तो मैंने मजिस्ट्रेट साहब को लिखवा दिया। यह कहना गलत है कि धारा 183 बीएनएसएस के बयान प्रदर्श पी-4 मजिस्ट्रेट साहब ने मुझे पढकर सुनाये हो और मैंने सही मानकर उस पर हस्ताक्षर किए हो। यह कहना गलत है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी-2 पुलिस ने मुझे पढकर सुनाया हो।"....उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा जिरह करने पर गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि प्रकरण में मुलजिमान से राजीनामा हो गया है और मुलजिमान के विरूद्ध अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। यह कहना सही है कि अभियुक्तगण ने हमारे साथ कोई मारपीट व झगडा नहीं किया है।"

15. गवाह पी.डब्ल्यू.4 रामप्रसाद व पी.डब्ल्यू.5 गोविन्द भी प्रकरण में मजरूबान है जो पूर्ण रूप से पक्षद्रोही घोषित हुए हैं तथा घटना का लेस मात्र भी समर्थन नहीं करते है।

16. अतः उक्त पांचो मजरूबान ने उनके साथ प्रकरण में मुलजिमान द्वारा मारपीट किए जाने के तथ्यों की लैस मात्र भी संपुष्टि नहीं की है। उपरोक्त पाचों गवाहान के बयानों के आधार पर ही मुलजिमान धारा 190, 191(3), 110, 118(2) भारतीय न्याय संहिता के आरोप में दोषमुक्त किए जाने योग्य पाये जाते हैं।

- आ दे श -

17. परिणामतः अभियुक्त 1. काशीराम पुत्र मन्नालाल, 2. ईश्वर पुत्र काशीराम, 3. पवन पुत्र रामलाल, 4. कमलप्रकाश पुत्र सीताराम एवं 5. रमेशचंद पुत्र चतुर्भुज, निवासीगण हरिपुरा थाना रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 190, 191(3), 110, 118(1), 118(2) भारतीय न्याय संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 126(2), 115(2), 117(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराध में बरूये राजीनामा दोष मुक्त घोषित किया गया है।

18. अभियुक्तगण की इस न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपीलीय न्यायालय अथवा यथास्थिति उच्चतर न्यायालय में अपील होने की स्थिति में दस हजार रूपए का मुचलका एवं इसी राशि की जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक कराए, जो निर्णय की दिनांक से 6 माह के लिए प्रवृत्त रहेगा।

19. इस मामले में मजरूबान/गवाहान के पक्षद्रोही हो जाने से उन्हें पीडित प्रतिकर राशि दिलाए जाने की अनुशंषा नहीं की जाती है।

20. प्रकरण में जब्तशुदा कोई माल यदि कोई हो तो उसका बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

(शैलेष जड़िया)
अपर सेशन न्यायाधीश
रामगंजमंडी, जिला कोटा

21. निर्णय, आज दिनांक 01.07.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

UMASHANKER GAUTAM
Steno Gr. Ist "Authenticate Document" Digitally signed by UMASHANKER GAUTAM
Date: 2026.07.02 13:08:28 +0530

(शैलेष जड़िया)
अपर सेशन न्यायाधीश
रामगंजमंडी, जिला कोटा